

बाबूलाल नरोत्तमदास और अन्य

बनाम

कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बॉम्बे

14 दिसंबर, 1990

[पी.बी. सावंत और एम. फातिमा बीवी, न्यायाधिपतिगण]

आय-कर अधिनियम, 1922: धारा 4 - अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार - न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए गए भुगतान को अधिकृत करने वाला संकल्प - वैध अभिनिर्धारित संकल्प - चाहे वह अधिकार संकल्प की तारीख से प्राप्त हुआ हो या निर्णय की तारीख से।

अपीलार्थी-निर्धारिती लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का रखरखाव कर रहा था। वह एक कंपनी का प्रबंध अभिकर्ता था और 20.7.1949 को पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी अपीलार्थी को रुपये 15,000 प्रति वर्ष की दर से विशेष अतिरिक्त पारिश्रमिक देने पर सहमत हुई थी। हालांकि, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस तरह के अतिरिक्त पारिश्रमिक देने से हमेशा के लिये रोक लगाने के लिये और प्रस्ताव को अवैध घोषित करने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिनिधि दावा दायर किया था। विचारण कोर्ट ने दावे को डिक्री कर दिया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने डिक्री को उलट दिया और कहा कि प्रस्ताव वैध रूप से पारित किया गया था। हालांकि कंपनी ने 31/12/1949 को समाप्त वर्ष के लिये 15 हजार रुपये की राशि भुगतान की और बाद के वर्षों में राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया, संबंधित वर्षों के दौरान निर्धारिती को राशि का भुगतान नहीं किया गया। दिनांक 16/11/1952 को निर्धारिती

की मृत्यु के बाद, राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों को वर्ष 1956 में किया गया था।

निर्धारण वर्ष 1950-51, 1951-52 और 1952-53 के लिए रूपये 15,000 की राशि और रूपये 13,125 की आनुपातिक राशि को आयकर अधिकारी ने करदाता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक की राशि कई वर्षों में बकाया नहीं थी और उक्त वर्षों के दौरान कोई आय अर्जित नहीं हुई। अपील पर, अपीलीय आयुक्त ने निर्धारण की पुष्टि की। निर्धारिती द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। निर्धारण को खारिज करते हुये न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि बिक्री के वर्षों के दौरान निर्धारिती को कोई आय अर्जित नहीं हुई थी और निर्धारिती को राशि नवंबर 1955 में ही अर्जित हुई जब उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को बरकरार रखते हुए निर्णय सुनाया, और उससे पहले नहीं।

राजस्व के आग्रह पर, न्यायाधिकरण ने संचय की तारीख के संबंध में प्रश्न को उच्च न्यायालय को भेज दिया।

उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ रेफरेंस का जवाब दिया।

निर्णय से व्यथित होकर, निर्धारिती ने वर्तमान अपील को प्रस्तुत करते हुये कहा कि जब तक उच्च न्यायालय ने यह कहते हुये निर्णय नहीं दिया कि प्रस्ताव वैध रूप सेपारित किया गया था, कंपनी निर्धारिती को कोई भुगतान नहीं कर सकती थी और न ही निर्धारिती किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के भुगतान का दावा कर सकता था। कंपनी से और, एक मामले में, पूरी राशि केवल फैसले की तारीख पर देय हो गई और इसलिये, केवल फैसले के वर्ष में ही उचित रूप से कर के दायरे में लाया जा सकता था।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. उपार्जन की तिथि वह तिथि है जिस दिन आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है। [545 जी]

1.2. कंपनी की वार्षिक आम बैठक में पारित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वर्ष निर्धारिती को 15 हजार रुपये की आय अर्जित हुई। यह आय वास्तव में उसके द्वारा प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान अर्जित की गई थी। अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार प्रस्ताव से प्राप्त होता है। प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित या उत्पन्न हुई आय, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि कंपनी द्वारा निर्धारिती को वास्तव में राशि का भुगतान किया गया था या नहीं। यद्यपि भुगतान लंबित मुकदमे के कारण स्थगित कर दिया गया था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि आय का संचय केवल इसलिये स्थगित करदिया गया था क्योंकि कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव की वैधता को चुनौती देने वाले शेयरधारको द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था। [545 डी-एफ]

ई.डी. ससून एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सी.आई.टी., [1954] 26 आई.टी.आर. 27 और सी.आई.टी. बनाम के.आर.एम.टी.टी. थाईगाराजा चेट्टी, [1953] 24 आईटीआर 525, भरोसा व्यक्त किया गया।

2. वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता कि अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि पर उत्पन्न हुआ है। अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार केवल कंपनी के प्रस्ताव पर उत्पन्न हुआ। प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, ऐसी राशि लेखांकन वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा निर्धारिती को देय हो गई थी। लंबित मुकदमे के कारण जो स्थगित किया गया था वह अधिकार का

संचय नहीं बल्कि भुगतान की तारीख थी। चूंकि मुकदमा पहले वर्ष के दौरान लंबित था, इसलिये कंपनीने खातो में डेबिट प्रविष्टि की थी। अगले वर्षों के लिये भी, लंबित मुकदमेबाजी को देखते हुये राशि को लाभ और हानि खाते मे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया था। ऐसे अतिरिक्त पारिश्रमिक के भुगतान को लेकर कंपनी और निर्धारिती के बीच कोई विवाद नहीं था। चूंकि प्रस्ताव ने निर्धारिती के पक्ष में सहमत दर पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार बनाया, इसलिये निर्धारिती ने प्रस्ताव के आधार पर उस आय को प्राप्त करने का अधिकार हासिल कर लिया, न कि उस निर्णय के आधार पर जो संकल्प को वैध मानता है। [546 ए-डी]

सी.आई.टी. बनाम बाबूलाल नरोत्तमदास, [1976] 105 आई.टी.आर. 721, अनुमोदित किया गया।

सी.आई.टी. बनाम हिंदुस्तान एच और एल डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, कलकत्ता, [1977] 108 आईटीआर 380, अंतर किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 685(एनटी)/1978।

(आयकर रेफरेंस संख्या 31/1966 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 8/9.7.1975 से।)

पी.एच. पारेख, अपीलार्थीगण के लिये।

सुश्री ए. सुभाशिनी, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय फातिमा बीवी, न्यायाधिपति के द्वारा दिया गया था।

निर्धारिती सेठ नरोत्तमदास मैसर्स चंदूलाल एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक अभिकर्ता थे। रूपये 15 हजार प्रतिवर्ष की दर से विशेष अतिरिक्त पारिश्रमिक के भुगतान

के लिये एक प्रस्ताव 20 जुलाई 1949 को पारित किया गया था। इस बीच, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 16/7/1949 को इस तरह के अतिरिक्त पारिश्रमिक देने से स्थाई निषेधाज्ञा और प्रस्ताव को अवैध घोषित करने के लिये एक प्रतिनिधि मुकदमा दायर किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये अस्थाई निषेधाज्ञा को 20 जुलाई, 1949 को इस आश्वासन पर भंग कर दिया गया था कि कंपनी मुकदमे के निपटारे तक अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेगी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 31/10/1950 को मुकदमे का आदेश सुनाया, लेकिन अपील पर, उच्च न्यायालय ने दिनांक 25/11/1955 के फैसले से डिक्री को उलट दिया और माना कि प्रस्ताव वैध रूप से पारित किया गया था।

चंदूलाल एंड कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 22/6/1950 को इसके द्वारा तैयार किये गये लाभ और हानि खाते में 31/12/1949 को समाप्त वर्ष के लिये रुपये 15,000 की राशि का भुगतान किया। बाद के वर्षों के लिये, कंपनी ने प्रस्ताव के तहत निर्धारिती को आकस्मिक दायित्व के रूप में राशि रुपये 15,000 दिखाई। संबंधित वर्षों के दौरान निर्धारिती को राशि का भुगतान नहीं किया गया था। नरोत्तमदास की मृत्यु 16/11/1952 को हुई। अंततः- 1956 में उनके उत्तराधिकारियों को रुपये 58,125/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

निर्धारिती खाते की व्यापारिक प्रणाली का रखरखाव कर रहा था। रुपये 15 हजार की राशि का प्रत्येक वर्ष 1950-51, 1951-52 और 1952-53 के लिए कर लगाया गया था। निर्धारण वर्ष 1953-54 के लिये आनुपातिक राशि रुपये 13,125/- कर के दायरे में लाया गया। निर्धारण करने में आय-कर अधिकारी ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कई वर्षों में अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में कोई राशि देय नहीं थी और उक्त वर्षों के

दौरान निर्धारिती को कोई आय अर्जित नहीं हुई थी। अपीलीय सहायक आयुक्त ने निर्धारण की पुष्टि की। हालाँकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह मत व्यक्त किया कि उक्त वर्षों के दौरान निर्धारिती को कोई आय अर्जित नहीं हुई थी और निर्धारिती को राशि नवंबर, 1955 में ही अर्जित हुई थी, जब उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया था और उस तारीख तक यह नहीं कहा जा सकता था कि कितनी राशि उसे प्राप्त हुई है। इस मामले को ध्यान में रखते हुये निर्धारण को अपास्त कर दिया गया।

राजस्व के आग्रह पर, न्यायाधिकरण ने आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 (1) के अंतर्गत कानून का निम्नलिखित प्रश्न उच्च न्यायालय की राय के लिये संदर्भित किया:

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने रूपये 58,125 की राशि को श्री नरोत्तमदास जेठालाल को नवंबर, 1955 में ही अर्जित करना सही माना था, जब उच्च न्यायालय का फैसला सुनाया गया था?"

उच्च न्यायालय ने दिनांक 8/9.7.1975 के फैसले के तहत निर्धारिती के खिलाफ उक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया। फैसला सी.आई.टी. बनाम बाबूलाल नरोत्तमदास, [1976] 105 आई.टी.आर. 721 (बॉम्बे) में प्रकाशित हुआ। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि एक ओर कंपनी और दूसरी ओर निर्धारिती के बीच किसी भी विवाद का कोई प्रश्न नहीं है, केवल इसलिए कि तीसरे पक्ष ने राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी की देनदारी के संबंध में विवाद खड़ा कर दिया, इसलिये वह ऐसा नहीं कर सकता। कहा जा सकता है कि ऐसी आय के संचय की तारीख को भविष्य की तारीख के लिये स्थगित कर दिया गया था जब अधिकारो पर अंततः कानून

की अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया था और न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित में सही नहीं था कि रूपये 58,125 रूपये की राशि केवल नवंबर, 1955 में अर्जित हुई थी, जब उच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था। इस अपील में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

अपीलकर्ताओ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रशांत गोस्वामी, ने कहा कि अदालत के समक्ष कंपनी द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए कि विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे के निपटारे और बाद में खारिज होने तक प्रबंधक अभिकर्ता को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा, यह नहीं कहा जा सकता कि इस तथ्य के बावजूद कि 20 जुलाई, 1949 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक वर्ष निर्धारिती को प्राप्त हुआ था। विद्वान वकील के अनुसार, जब तक उच्च न्यायालय ने यह कहते हुये निर्णय नहीं सुनाया कि प्रस्ताव वैध रूप से पारित किया गया था, कंपनी निर्धारिती को कोई भुगतान नहीं कर सकती थी और न ही निर्धारिती कंपनी से किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान करने का दावा कर सकता था और ऐसे मामले में, पूरी राशि केवल निर्णय की तारीख को देय हो जाती है और इसलिए, निर्णय के वर्ष में ही संपत्ति को कर के दायरे में लाया जा सकता था। सी. आई. टी. बनाम हिंदुस्तान एच एंड एल डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड कलकत्ता, [1977] 108 आई.टी.आर. 380 में दी गई टिप्पणियों पर भरोसा व्यक्त करते हुये श्री गोस्वामी ने कहा कि अतिरिक्त पारिश्रमिक की प्राप्ति वास्तव में अदालत के आदेश के अनुसार एक विशेष राशि की प्राप्ति थी और प्राप्त करने का अधिकार केवल तभी अर्जित हुआ था जब डिक्री अंततः उच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई थी।

निर्धारिती, नरोत्तमदास, व्यापारिक प्रणाली पर अपने खाते को संघारित कर रहा था। जहाँ खातों को संचय के आधार पर रखा जाता है, वहाँ लाभ या प्राप्ति को जमा किया जाता है, हालाँकि वास्तव में उनकी वसूली नहीं की जाती है। खातों में की गई प्रविष्टियाँ वास्तव में उपार्जन से अधिक कुछ नहीं दिखाती हैं। कंपनी की वार्षिक आम बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, प्रत्येक वर्ष निर्धारिती नरोत्तम को रुपये 15,000 की आय अर्जित होती है। यह आय वास्तव में संबंधित पिछले वर्षों के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई थी। अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार प्रस्ताव से प्रवाहित हुआ। प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित या उत्पन्न आय, इस तथ्य के बावजूद कि क्या राशि वास्तव में कंपनी द्वारा नरोत्तमदास को भुगतान की गई थी या नहीं। हालाँकि भुगतान को लंबित मुकदमे के कारण स्थगित कर दिया गया था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि आय के संचय को केवल इसलिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि कंपनी द्वारा पारित संकल्प की वैधता को चुनौती देने वाले शेयर धारकों द्वारा एक दावा दायर किया गया था। आय को तब अर्जित माना जा सकता है जब निर्धारिती उस आय को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ई.डी. सासून एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सी.आई.टी., [1954] 26 आई.टी.आर. 27 में इस सिद्धांत की पुष्टि की गई है कि आय उस तारीख को अर्जित होनी चाहिये जब ऋण देय हो। सी.आई.टी. बनाम के.आर.एम.टी.टी. थाईगाराजा चेट्टी, [1953] 24 आई.टी.आर. 525 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल यह तथ्य कि निर्धारिती को देय राशि को सस्पेंस खाते में ले जाया गया है और कंपनी किसी लंबित विवाद के कारण भुगतान रोक रही है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि आय निर्धारिती को अर्जित नहीं हुई है। संचय की तारीख वह तारीख है जिस दिन आय प्राप्त करने का अधिकार अर्जित किया गया है।

यहां निर्धारिती ने रूपये 15 हजार प्रतिवर्ष का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार दिनांक 20/7/1949 को पारित किये गये प्रस्ताव के आधार पर प्राप्त कर लिया है। अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख को उत्पन्न हुआ, नहीं कहा जा सकता। अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार केवल कंपनी के प्रस्ताव पर उत्पन्न हुआ। संकल्प को ध्यान में रखते हुए, ऐसी राशि लेखांकन वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा निर्धारिती को देय हो गई थी। लंबित मुकदमे के कारण जो स्थगित किया गया था, वह अधिकार का संचय नहीं था, बल्कि भुगतान की तारीख थी। चूंकि मुकदमा पहले वर्ष के दौरान लंबित था, इसलिए कंपनी ने खातों में डेबिट प्रविष्टि की थी। अगले वर्षों के लिए भी, लंबित मुकदमेबाजी को देखते हुए राशि को लाभ और हानि खाते में आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया था। ऐसे अतिरिक्त पारिश्रमिक के भुगतान को लेकर कंपनी और निर्धारिती के बीच कोई विवाद नहीं था। चूंकि प्रस्ताव ने निर्धारिती के पक्ष में संचित दर पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार पैदा किया, इसलिए निर्धारिती ने प्रस्ताव के आधार पर उस आय को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, न कि उस निर्णय के आधार पर जो प्रस्ताव को वैध मानता है। इसलिये, इस तर्क में कोई बल नहीं है कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे का अंतिम निर्णय नहीं किया जाता, तब तक निर्धारिती को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।

सी.आई.टी. बनाम हिंदुस्तान एच एंड एल डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, कलकत्ता, (उपरोक्त) में श्री गोस्वामी द्वारा भरोसा किये जाने पर मध्यस्थ के आदेश द्वारा तय किया गया बढा हुआ मुआवजा उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान एक सुरक्षा बांड प्रस्तुत करने के बाद निर्धारिती द्वारा वापस ले लिया गया था। आयकर

अधिकारी ने उक्त राशि का निर्धारण करदाता की आय के रूप में किया जो संबंधित वर्ष में अर्जित हुई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि निर्धारिती द्वारा राशि की प्राप्ति वास्तव में अदालत के एक आदेश के अनुसार एक राशिकी प्राप्ति थी और वह आय नहीं थी जो संबंधित पिछले वर्ष के दौरान अर्जित या उत्पन्न हुई थी, इस कारण से कि निर्धारिती को प्राप्त करने का अधिकार था। किसी भी अतिरिक्त राशि को अदालत द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। हम अपीलकर्ता के दावे को आगे बढ़ाने के लिये इस निर्णय से कोई समर्थन पाने में असमर्थ है, जब अपीलकर्ता का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार अस्थिर नहीं था।

हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के विरुद्ध प्रश्न का उत्तर देकर सही किया था। हमें अपील में कोई गुणावगुण नहीं दिखता जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अपील खारिज की गई।

जीएन.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।